



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2010-2011

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग



मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2010-11

मंत्री	श्री बाबूलाल गौर
राज्यमंत्री	श्री मनोहर ऊँटवाल
प्रमुख सचिव	श्री एस.पी.एस. परिहार
सचिव	श्री एस.एन. मिश्रा
उप सचिव	श्री प्रमोद गुप्ता
अवर सचिव	श्री एच.के. शर्मा (पदेन)
	श्री ओ.पी. सोनी
	श्री एस.एल. अहिरवार

प्रस्तावना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2010–11 का प्रशासकीय प्रतिवेदन
प्रस्तुत है।


(एस.पी.एस.परिहार)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2010-11

-: विषय सूची :-

क्र.	भाग	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	एक: विभागीय संरचना	1. विभाग की प्रशासनिक संरचना 2. नगरीय रथानीय निकाय 3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम 4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	1-2 2 2-3 3-4
2.	दो: बजट विहंगावलोकन	1. बजट विहंगावलोकन	5
3.	तीन : राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं		
	(अ) राष्ट्रीय योजनाएं	1. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM) 2. एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) 3. छोटे एवं मझोले नगरों के लिये शहरी अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT) 4. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	6-8 8-9 9 10-11
	(ब) प्रादेशिक योजनाएं	1. हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना 2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना 3. स्ट्रीट वैंडर योजना	11 12 12
	(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं	1. एशियाई विकास बैंक सहायित - शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना (परियोजना उदय) 2. मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान)	13-14 15
	(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं	1. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान 2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि 3. म.प्र.शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF) 4. एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम	16 16 17 17-18

		5. रैनबसेरा 6. रामरोटी योजना	18 18
	(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं	1. नगरीय निकायों के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना 2. परिभाषित पेंशन अंशदान योजना 3. नगरीय निकायों के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये परिवार कल्याण योजना 4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना	18–19 18–19 19–20 20
4	चार : अन्य प्रशासनिक विषय	1. विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम 2. सूचना प्रौद्योगिकी 3. वीडियो कांफ्रेसिंग 4. ऑन लाईन मनी ट्रांसफर 5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 6. नगरीय निकायों के निर्वाचन 7. विभागीय नियुक्तियां, पदोन्नतियां तथा स्थानांतरण 8. नगरीय निकायों का अंकेक्षण 9. विधि विषयक कार्य	21 22 22 22–23 23 24 24 24 24–25
5	परिशिष्ट	एक : नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का स्वीकृत प्रशासकीय अमला दो : प्रदेश की नगरीय निकायों की संभाग / जिलेवार सूची तीन : वर्ष 2010–11 का बजट प्रावधान तथा व्यय चार : जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम पांच : जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनायें छह : आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाये सात: यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं आठ : प्रदेश में हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्षा चालकों की पंचायत में की गयी घोषणाओं का अनुपालन नौ : “परियोजना उदय” के अंतर्गत किये जाने वाले मुख्य कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति दस : म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवायें कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान) के अंतर्गत संपन्न कार्य	26–31 32–39 40–43 44–46 47–49 50–52 53–54 55 56–57 58–60

भाग-एक

विभागीय संरचना

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः—

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन एक उप सचिव तथा दो अवर सचिव के पद हैं।

1.2 विभागाध्यक्ष कार्यालय

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1.3 संभागीय कार्यालय

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर उप संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में गठित हैं।

संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये कार्यपालन यंत्रियों के कार्यालय भी स्थापित हैं। संभागीय कार्यपालन यंत्रियों के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए इंदौर तथा जबलपुर में क्षेत्रीय अधीक्षण यंत्री पदस्थ हैं।

1.4 राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में “राज्य शहरी विकास अभिकरण” का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इसके उपाध्यक्ष मनोनीत हैं। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

1.5 जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में नवगठित जिलों को छोड़कर पूर्व के 38 जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

1.6 विभाग के अंतर्गत स्थापित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट-एक** पर है।

2. नगरीय स्थानीय निकाय

2.1 प्रदेश में कुल 360 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	14
2	नगरपालिका परिषद	96
3	नगर पंचायत	250
	योग	360

2.2 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट-दो** पर है।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :—

- (1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
- (2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
- (3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहाँ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
- (4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
- (5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
- (6) पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अधिनियम (जहाँ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
- (7) स्लाटर आफ एनीमल्स एकट (जहाँ तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों में लागू है)
- (8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
- (9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976

- 3.2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। इन निकायों के गठन, कार्य संपादन, शक्तियों एवं दायित्वों तथा अन्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिए राज्य विधायिका द्वारा नगरपालिक निगमों के लिये म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिये म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 अधिनियमित किये गये हैं।
- 3.3 प्रदेश के नगरीय निकाय स्वायत्तशासी हैं। विभाग का दायित्व इन निकायों को उनके बुनियादी कर्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी मामलों में आवश्यक परामर्श और सहयोग देना है।
- 3.4 नगरीय निकायों के लेखाओं का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :—

- (1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवेक्षण।
- (2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन, अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय।
- (3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन।
- (4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन।
- (5) नगरीय क्षेत्रों में कांजी हाउस और उनमें पशु अतिचार की रोकथाम।
- (6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले।
- (7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वारथ्य और स्वच्छता।
- (8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवेक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं।
- (9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन।
- (10) नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवेक्षण करना।

-
- (11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापनाएँ, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही।
 - (12) JNNURM, UIDSSMT,IHSDP का क्रियान्वयन।
 - (13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन।
 - (14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजना का क्रियान्वयन।
 - (15) शहरी स्वच्छता मिशन।
 - (16) म.प्र.शहरी अधोसंरचना कोष का प्रशासन।
 - (17) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन।
 - (18) आग की रोकथाम।

● ● ●

भाग-दो

बजट विहंगावलोकन

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिए वर्ष 2010–11 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 335892.84 लाख का प्रावधान हुआ था। उक्त प्रावधान के विरुद्ध वर्ष 2010–11 में जनवरी, 2011 तक कुल रूपये 213627.06 लाख का व्यय हुआ।
2. माह जनवरी, 2011 तक उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान में से **आयोजना** मदों तथा **आयोजनेत्तर** मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट-तीन** (“एक” “दो”) पर है।
3. विभागीय बजट में आयोजना मद के अंतर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, छोटे एवं मझोले नगरों के लिये शहरी अधोसंरचना विकास योजना, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अंतराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित एशियाई विकास बैंक सहायित परियोजना तथा डी.एफ.आई.डी. द्वारा वित्त पोषित म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवायें परियोजना के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निकायों को देय अनुदान का प्रावधान भी इसी मद के अंतर्गत रखा गया है।
4. आयोजनेत्तर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्रीकर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

● ● ●

भाग-तीन

राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM)

- 1.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर, 2005 में देश के बड़े शहरों में संयुक्त रूप से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन हुआ है :—
1. इंदौर
 2. भोपाल
 3. जबलपुर
 4. उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में)
- 1.2 मिशन के अंतर्गत इन्दौर, भोपाल तथा जबलपुर शहरों के लिये परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है जिसके विरुद्ध राज्यांश 20 प्रतिशत, निकाय अंश 30 प्रतिशत देय होता है। उज्जैन शहर के लिए 80:10:10 के अनुपात में केन्द्रांश:राज्यांश: निकाय अंश की व्यवस्था रखी गई है।
- 1.3 मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और सुधार कार्यकमों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय परिचालन समिति** गठित है। इसके साथ ही मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय साधिकार समिति** का गठन भी किया गया है।
- 1.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जेएनएनयूआरएम के लिए **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है।
- 1.5 विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2010 से स्थानीय स्तर पर मिशन के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा के लिए संबंधित जिले के प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है।
- 1.6 भारत सरकार द्वारा मिशन शहरों के निम्नानुसार **सिटी डेवलपमेंट प्लान** अनुमोदित किये गये हैं :—

क्रमांक	शहर	परियोजना राशि (करोड़ रूपयों में)
1	इंदौर	2745.75
2	भोपाल	2153.00
3	जबलपुर	1929.00
4	उज्जैन	1237.73

1.7 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से अभी तक विभिन्न शहरों की रूपये 3348.19 करोड़ लागत की 49 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। अद्यतन शहरवार स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं उनकी लागत निम्नानुसार है:—

क्रमांक	शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लागत (राशि करोड़ में)
1	इंदौर	14	1031.18
2	भोपाल	22	1563.25
3	जबलपुर	9	607.90
4	उज्जैन	4	145.86
	योग	49	3348.19

1.8 विभाग के वर्ष 2010–11 के बजट में मिशन मद में रूपये 345.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

1.9 भारत सरकार द्वारा मिशन के दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों से विभिन्न सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की गयी है। मध्यप्रदेश में इनमें से अनेक सुधार कार्यक्रमों को पहले ही लागू किया जा चुका है और शेष कार्यक्रमों के संबंध में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्यवाही जारी है। सुधार कार्यक्रमों का विवरण **परिशिष्ट-चार** पर है।

1.10 गरीबोन्मुख सुधार कार्यक्रमों को राज्य में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 3 दिसम्बर, 2010 को संपन्न वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्यप्रदेश को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया

गया है। पुरस्कार के अंतर्गत राज्य को रूपये 3.00 लाख नगद, ट्राफी एवं प्रशस्ति—पत्र प्रदान किये गये हैं।

- 1.11 मिशन के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट—पांच** पर है।
- 1.12 मिशन के अंतर्गत स्वीकृत अधोसंरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए विभाग द्वारा “वाटर एंड पावर कसलटेंसी सर्विसेज,” नई दिल्ली (भारत सरकार का उपकरण) को Independent Review and Monitoring Agency (IRMA) नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार गरीबों के लिए बुनियादी सेवायें उप—मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच के लिए “मेसर्स श्रीखण्डे कन्सलटेंट प्रा.लि.” नवी मुम्बई को Third Party Independent Monitoring Agency (TPIMA) नियुक्त किया गया है।
- 1.13 **प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल**
- (1) प्रदेश के शहरी क्षेत्र में यातायात एवं परिवहन के महत्व को देखते हुए मंत्री—परिषद ने “शहरी परिवहन” का विषय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रशासन के अंतर्गत सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अनुसरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम, में संशोधन किया गया है।
- (2) राज्य सरकार की पहल पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मिशन के अंतर्गत प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत बसों की खरीदी हेतु रूपये 193.70 करोड़ लागत से इंदौर में 175, भोपाल में 225, जबलपुर में 75, और उज्जैन में 50 आधुनिक, लो फ्लोर, स्टेट—आफ—आर्ट सिटी बसों के क्रय करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है।
- (3) शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन एवं जबलपुर शहरों में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत "Special purpose Vechical" के रूप में नगरपालिक निगम के महापौर की अध्यक्षता में सिटी बस कंपनियों का गठन किया गया है।
- (4) भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अंतर्गत मिशन शहरों में नई बसों का परिचालन प्रारंभ हो गया है।

2 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)

- 2.1 यह योजना भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और बालिमकी अम्बेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में माह दिसंबर, 2005 से लागू की गयी है। योजना का

- उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निवासियों को समुचित आवास एवं बुनियादी अधोसंरचना प्रदान करते हुए इन बस्तियों का विकास करना है ।
- 2.2 यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चयनित शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में लागू की गई है, जिसमें 80 प्रतिशत केन्द्रांश, 10 प्रतिशत राज्यांश और 10 प्रतिशत निकाय/हितग्राही के अंश के मापदण्ड पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं ।
- 2.3 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2010 तक रूपये 319.26 करोड़ लागत की 44 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । स्वीकृत परियोजनाओं के तहत गरीबों के लिए 20372 आवासों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास के कार्य किये जायेंगे ।
- 2.4 इस योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण, नोडल एजेन्सी मनोनीत है ।
- 2.5 योजना के लिए विभाग के वर्ष 2010–11 के बजट में कुल रूपये 36.82 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
- 2.6 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–छह** पर है ।

3. छोटे एवं मझोले नगरों के लिये शहरी अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT)

- 3.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष, 2005 में छोटे एवं मझोले नगरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से **यूआईडीएसएसएमटी** योजना प्रारंभ की गई है ।
- 3.2 योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरुद्ध राज्यांश 10 प्रतिशत, निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है ।
- 3.3 योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का गठन किया गया है ।
- 3.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, **यूआईडीएसएसएमटी** योजना के लिये इस वर्ष से **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है ।
- 3.5 योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अभी तक रूपये 762.58 करोड़ की लागत की 33 नगरों की 47 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं ।
- 3.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट – सात** पर है ।

4. स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना

- 4.1 शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शहरों में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना 1 दिसंबर, 1997 से लागू की गई है। योजना 75 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 25 प्रतिशत राज्यांश के मापदण्ड पर क्रियान्वित है। वर्तमान में शहरी गरीबी रेखा का मापदण्ड प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय रु. 522.64 से कम होना है। पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 13 लाख है।
- 4.2 **योजना के प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-**
- (1) शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोज़गार के लिए आर्थिक सहायता देकर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है।
 - (2) **स्वरोज़गार** के लिए रु. 2.00 लाख तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रु. 50,000 अनुदान दिया जाता है। 70 प्रतिशत ऋण बैंक देते हैं और 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राही को लगानी होती है।
 - (3) **स्वरोज़गार कार्यक्रम** में कुल लाभान्वित हितग्राहियों में 30 प्रतिशत महिलाओं और 6 प्रतिशत निःशक्त हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को स्थानीय आबादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किए जाने की व्यवस्था है।
 - (4) **हितग्राहियों के कौशल उन्नयन** के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें रु. 10,000 प्रति हितग्राही के मान से खर्च की सीमा निर्धारित है। प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 06 माह है।
 - (5) **महिलाओं एवं बच्चों के विकास कार्यक्रम** में कम से कम 5 महिला हितग्राहियों के एक समूह को अधिकतम रु. 3.00 लाख या परियोजना लागत का 35 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। परियोजना की शेष राशि ऋण के रूप में बैंक से उपलब्ध कराई जाती है।
 - (6) **बचत और साख समिति घटक** के तहत गरीब परिवारों की समितियों का गठन कर उन्हें छोटी-छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि जरूरत के समय वे समिति से ऋण प्राप्त कर सकें।
 - (7) **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम** के तहत सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम में निर्माण कार्य में सामग्री और श्रम पर खर्च का अनुपात 60:40 निर्धारित है। यह कार्यक्रम प्रदेश की नगर पंचायतों में लागू है।

- (8) **योजना के सामुदायिक संगठक घटक** में सामुदायिक विकास समितियों के माध्यम से गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बालवाड़ी आदि गतिविधियों का संचालन किया जाता है।
- 4.3 योजना के अंतर्गत वर्ष 2006–07 से दिसम्बर, 2010 तक निम्नानुसार केन्द्रांश और राज्यांश प्राप्त हुआ है:—

(रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त राज्यांश	योग
1	2006–07	2388.35	796.11	3184.46
2	2007–08	3120.18	1040.06	4160.24
3	2008–09	4722.97	1574.32	6297.29
4	2009–10	4408.47	1469.49	5877.96
5	2010–11	4570.13	1523.38	6093.91

शहरी स्व-रोज़गार कार्यक्रम तथा शहरी स्व-रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के महत्वपूर्ण घटक है। इन दोनों कार्यक्रमों में वर्ष, 2010–11 में दिसम्बर, 2010 तक की उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	कार्यक्रम	उपलब्धि
1	शहरी स्व-रोज़गार कार्यक्रम	5072
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	27415

(ब) प्रादेशिक योजनाएं

1. हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्षा चालकों के कल्याण की योजना

- 1.1 प्रदेश के शहरों में “मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्षा चालक कल्याण योजना, 2009” प्रारम्भ की गई है। हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्षा चालकों को किरायेदार से मालिक बनाने उनके परिवार की चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा की जरूरतों के लिये सहायता देने की व्यवस्था की गई है।
- 1.2 हाथठेला एवं साइकिल रिक्षा चालकों के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाएं एवं उन पर हुई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा परिशिष्ट-आठ पर है।

2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना -

शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये “मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, 2009” प्रारंभ की गई है। इसके अन्तर्गत घरेलू कामकाजी बहनों का पंजीयन कर उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा एवं कौशल उन्नयन संबंधी जरूरतों को पूरा किया जावेगा।

3. स्ट्रीट वैंडर योजना -

भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा शहरों में फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए वर्ष, 2004 में नीति (**नेशनल कंसलटेंशन आफ स्ट्रीट वैंडर**) तैयार की गई है। राज्य शासन ने इस नीति के अनुसरण में, शहरों में गरीब तबके के ऐसे लोगों के लिए जो फेरी लगाकर या सड़कों के फुटपाथ पर, गलियों के नुककड़ आदि पर अस्थायी स्टाल लगाकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का विक्रय कर जीविकोपार्जन करते हैं, योजना बनाकर लागू कराने का निर्णय लिया है। योजनांतर्गत नगरों में कराये गये सर्वेक्षण में प्रदेश के 50 जिलों में 99318 फेरी वालों की पहचान की गई, जिसमें से 91176 पात्र पाये गये फेरीवालों को पहचान पत्र जारी किये गये। शहरी फेरीवालों को व्यवस्थित करने के लिए प्रदेश में लगभग 1022 हाकर्स जोन/कार्नर चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 476 निर्मित हो चुके हैं और 88 निर्माणाधीन हैं।

● ● ●

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएँ

1. एशियाई विकास बैंक सहायिता—शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना (परियोजना उदय)
- 1.1 प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में किया जा रहा है। परियोजना की अवधि मार्च, 2011 तक है।
- 1.2 परियोजना के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार है:—

क्रमांक	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
1	एडीबी से प्राप्त ऋण	1154.60
2	मध्यप्रदेश शासन का अंशदान	337.23
3	नगरपालिका का अंशदान	260.41
4	यू.एन.हैबीटेट का अंशदान	2.48
	योग	1754.72

- 1.3 परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल रूपये 90.02 करोड़ का व्यय हुआ है। इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत अभी तक कुल रूपये 950.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- 1.4 परियोजना क्रियान्वयन के अंतर्गत संपन्न विभिन्न कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	विवरण	पैकेज की संख्या	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)
1	कुल प्रस्तावित कार्य	124	1296.98
2	परियोजना प्रतिवेदन एवं निविदा प्रपत्र अनुमोदन	114	1226.98
3	निविदायें आमंत्रित	112	1218.98
4	कार्यादेश जारी	117	1147.43
5	कार्य पूर्ण	18	15.20
6	कार्य प्रगति पर	84	1132.23

- 1.5** परियोजना में कियान्वित मुख्य कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—नौ** में दिया गया है।
- 1.6** नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु यूएन. हेबीटेट के सहयोग से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज आफ इण्डिया, हैदराबाद में प्रभावी जल एवं स्वच्छता सेवाएँ, विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिसमें वर्ष 2010 में 50 अधिकारियों एवं 38 जनप्रतिनिधियों ने प्रशिक्षणों में भाग लिया। इस प्रकार अब तक कुल 910 व्यक्ति (596 अधिकारी एवं 314 जनप्रतिनिधि) लाभान्वित हुये हैं। साथ ही त्रिची में स्वच्छता विषयक भ्रमण कार्यक्रम में परियोजना प्रबंधन ईकाई के 4 अधिकारी सम्मिलित हुए।
- 1.7** क्षेत्र सुधार निधि एवं सामुदायिक पहल निधि के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रगति इस प्रकार है:—
- (1) परियोजना के अन्तर्गत चारों शहरों में सामुदायिक विकास कार्यों के अन्तर्गत क्षेत्र सुधार निधि एवं सामुदायिक पहल निधि से सम्बन्धित कार्य किये जा रहे हैं।
 - (2) क्षेत्र सुधार निधि के अन्तर्गत क्षेत्र सुधार सम्बन्धी, भौतिक कार्य यथा—जल प्रदाय, सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, सीवर लाईन आदि के कार्य किये जा रहे हैं।
 - (3) सामुदायिक पहल निधि के अन्तर्गत क्षमता वर्धन, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आजीविका प्रशिक्षण संबंधी कार्य किये जा रहे हैं।
 - (4) परियोजना अन्तर्गत प्रारम्भ में चयनित 80 बस्तियों में से वर्तमान में 65 बस्तियों में कार्य किये जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर इन सभी बस्तियों में जागरूकता, प्रचार प्रसार, सामुदायिक समूह समितियों का गठन, पंजीयन, बैंक खाते खुलवाना एवं पेन कार्ड बनवाये जाने का कार्य किया जा रहा है।
 - (5) 65 बस्तियों में से 64 बस्तियों में आवश्यकताओं का आंकलन कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके हैं। 60 बस्तियों में सामुदायिक समूह समिति एवं नगर निगमों के मध्य अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं सुविधाओं के रख—रखाव संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 64 में से 59 बस्तियों में भौतिक कार्यों हेतु टेण्डर जारी हो चुके हैं एवं 28 बस्तियों में क्षमतावर्धन कार्यों हेतु कार्यादेश जारी हो चुके हैं, जिनमें से 24 बस्तियों में कार्य प्रगति पर है।

2. मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान)

- 2.1 माह सितंबर, 2006 में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शहरों में Department for International Development (DFID) की सहायता से मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवाएं कार्यक्रम राज्य में प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रूपये 41 मिलियन (लगभग 300 करोड़) की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त होगी।
- 2.2 कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शहरों में मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य लिये गये हैं:-
- (1) सर्वाधिक गरीब बस्तियों में अधोसंरचना सुधार।
 - (2) नगरपालिका प्रशासनिक प्रणाली तक गरीबों को आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रशासनिक सुधार।
 - (3) निगमों में ई—गर्वनेंस प्रणाली लागू करना।
 - (4) गरीबों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा को बदलने हेतु जीवीकोपार्जन के साधनों का प्रशिक्षण एवं वित्तीय संसाधनों के माध्यम से उनका सशक्तीकरण करना।
 - (5) गरीब बस्तियों में सामुदायिक भागीदारी से व उनके सहयोग से सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण व रखरखाव आधार पर सामुदायिक भवनों का निर्माण।
 - (6) शौचालय एवं जल प्रदाय सुविधायें उपलब्ध कराना।
 - (7) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल—जल निकास व निपटान की प्रणाली विकसित करना।
- 2.3 परियोजना के दूसरे चरण में प्रदेश के शेष 10 नगरपालिक निगम वाले शहर— उज्जैन, खंडवा, सागर, रतलाम बुरहानपुर, देवास, सतना, सिंगरौली, कटनी एवं रीवा को भी कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जिसके अंतर्गत इन नगरों में ई—गर्वनेंस, वित्तीय सुधार, सामाजिक विकास, गंदी बस्तियों का विकास, सुशासन हेतु पहल से संबंधित कार्य और इस संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।
- 2.4 परियोजना के अंतर्गत वर्तमान तक सम्पन्न कार्यों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट—दस** पर है।
- 2.5 वित्तीय उपलब्धि— परियोजना के अंतर्गत अब तक रु. 105.00 करोड़ की राशि का व्यय हो चुका है। इसके अतिरिक्त तकनीकी सहायता मद में रूपये 80.00 करोड़ व बस्ती अधोसंरचना विकास मद में लगभग रूपये 135.00 करोड़ की लागत के कार्यों को सम्पन्न करने हेतु कार्यवाही विभिन्न स्तर पर प्रचलित है।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

1. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है, जो कि निम्नानुसार है ।

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| (1) जनरल बेसिक ग्राण्ट | — | समस्त नगरीय निकायों के लिए |
| (2) स्पेशल एरिया बेसिक ग्राण्ट | — | प्रदेश की आदिवासी क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों के लिए अतिरिक्त रूप से |

उपरोक्तानुसार अनुदान वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त अनुदान शर्त रहित है, जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए नगरीय निकायें स्वतंत्र हैं । वर्ष 2010–11 में भारत सरकार से (जनवरी, 2011 तक) प्राप्त अनुदान की प्रथम किश्त क्रमशः रूपये 6955.00 लाख और 197.10 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2011–12 से 9 सुधार कार्यक्रमों के लागू करने की शर्त पर परफार्मेंस ग्रांट भी उपलब्ध होगा ।

2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

- 2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है । इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं और आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी । उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकायों के अनिवार्य एवं एच्छिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिये अनुदान स्वीकृत करने हेतु विशेष निधि का गठन किया गया है ।
- 2.2 इस निधि में विभाग को आयोजनेत्तर मदों जैसे सडक मरम्मत–अनुरक्षण, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 10 प्रतिशत भाग पृथक निधि के रूप में रखा जाकर विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये निकायों को अनुदान दिया जाता है ।
- 2.3 इस निधि के परिचालन के लिये “म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006” बनाये गये हैं ।
- 2.4 वर्ष 2010–11 में जनवरी, 2011 तक इस निधि से नगरीय निकायों को रु. 39.23 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

3. म. प्र. शहरी अधोसंचना कोष (MPUIF)

- 3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में बड़ी अधोसंचना विकास परियोजनाओं के चयन, उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, ऐसी परियोजनाओं के लिए शासन सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों/ बाजार से पूंजी की व्यवस्था करने आदि के प्रयोजन से म.प्र. शहरी अधोसंचना कोष का गठन किया गया है।
- 3.2 राज्य मंत्रि—परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शहरी अधोसंचनकोष का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई, 2008 को हुआ है।
- 3.3 ट्रस्ट के अंतर्गत तकनीकी कार्यों के संचालन के लिए “म.प्र. नगरीय अधोसंचना एवं वित्तीय सेवायें मर्यादित” का गठन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है। कंपनी में 26 प्रतिशत अंश राज्य शासन का तथा 74 प्रतिशत अंश निजी क्षेत्र की कंपनी का रखे जाने का प्रावधान है।
- 3.4 कोष को भारत सरकार द्वारा लागू “पूल्ड फायनेंस डेवलपमेंट फंड” योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर साझा वित्त इकाई के रूप में नामांकित किया गया है।

4. एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम

- 4.1 नगरीय क्षेत्रों में खुले में शौच की समस्या से मुक्ति दिलाने एवं सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम 79 नगरीय निकायों में आरंभ किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 11. 25 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। नगरों को स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न नगरीय निकायों में 62 सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड लो—कॉस्ट सेनिटेशन स्कीम अंतर्गत नगर पालिका परिषद कोलार, नगर निगम क्षेत्र इन्दौर अंतर्गत मूसाखेड़ी, नगर पालिका परिषद होशंगाबाद, नगर पंचायत नसरुल्लागंज, सैलाना, कुक्की एवं ओरछा के 7423 व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों की रूपये 851.79 लाख की कार्ययोजना भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय स्वच्छता नीति के मापदण्डों के अनुरूप विभिन्न शहरों के सिटी सेनीटेशन प्लान तैयार किये जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद पन्ना, नगर पंचायत कुछी एवं सैलाना में 100 प्रतिशत घर—घर से कचरा एकत्रित करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। साथ ही राज्य की अन्य नगरीय निकायें भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं।

पायलेट शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से घर घर कचरा एकत्रित करने एवं उसके निपटान के लिए सतत मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

5. **रैनबसेरा**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 196/2001 में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाहर से आने वाले गरीबों के रात्रि विश्राम के लिये रैनबसेरों के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 24 बड़े शहरों में रैनबसेरों के निर्माण के लिये विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जिन शहरों में पूर्व से ही रैन बसेरे निर्मित हैं उन रैन बसरों में आवश्यक बुनियादी सुविधायें जैसे – प्रकाश, पानी, शौचालय, लाकर, पुरुष एवं महिलाओं के अलग-अलग रहने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है।

6. **रामरोटी योजना**

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 4 बड़े शहरों क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में रामरोटी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में रैन बसरों में रात्रि विश्राम करने वाले व्यक्तियों को शाम का भोजन रियायती दर पर रूपये 5/- में उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जा रहा है।

(इ) **कर्मचारी कल्याण योजनाएं**

1 **नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना**

- 1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में संचालनालय स्तर पर “कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज” के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन निधि की राशि जमा की जा रही है। इस योजना के संचालन के लिये आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ‘नियत्रक, पेंशन स्थानीय निकाय’ नामांकित है।
- 1.2 योजना के संचालन के लिये नगरीय निकायों के राज्य स्तरीय संवर्ग और स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में उनके वेतनमान के अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से तथा नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से 15 प्रतिशत की राशि काटकर, पेंशन निधि में जमा की जाती है। यह राशि दिनांक 1.4.2007 से 20 प्रतिशत कर दी गई है।
- 1.3 योजना के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2010 तक पेंशन के 975 प्रकरण निराकृत किये गये हैं।

- 1.4 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं की पेंशन योजना संचालित कर रहे हैं।

2. परिभाषित पेंशन अंशदान योजना

- 2.1 म.प्र.शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ—9/3/2003/चार, भोपाल, दिनांक 13.4.2005 के परिपालन में नगरीय निकायों में दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए “परिभाषित पेंशन अंशदान योजना प्रणाली” लागू है।
- 2.2 नगरीय निकायों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत 950 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है। इस योजना के संचालन हेतु पृथक से बैंक खाता खोलकर निकायों से प्राप्त अंशदान की राशि जमा की जा रही है।

3. नगरीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये परिवार कल्याण योजना

- 3.1 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए माह अक्टूबर, 1987 से “परिवार कल्याण योजना” लागू की गई है।
- 3.2 इस योजना का संचालन आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के स्तर पर पृथक से निधि का सृजन कर किया जा रहा है। जिसमें कर्मचारियों के मासिक अभिदान की राशि निकाय को देय चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से कटौती कर इस खाते में जमा की जाती है।
- 3.3 **अभिदान राशि का विवरण इस प्रकार है:-**

क्रमांक	कर्मचारी की श्रेणी	मासिक अभिदान राशि (रुपयों में)
1.	प्रथम श्रेणी	160.00
2.	द्वितीय श्रेणी	120.00
3.	तृतीय श्रेणी	100.00
4.	चतुर्थ श्रेणी	60.00
5.	सफाई कामगार	30.00

- 3.4 उपर्युक्त योजना में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के दावेदार को अधिमान्य क्रम के अनुसार क्रमशः रूपये 1.60 लाख, 1.20 लाख, 1.00 लाख, 60,000/- और 30,000/- का भुगतान किया जाता है। सेवानिवृति उपरांत अभिदाता के खाते में जमा वास्तविक अभिदान राशि और उस पर देय अंशदान की राशि का भुगतान किया जाता है।
- 3.5 वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2010 तक कुल 751 सेवानिवृत् /मृतक कर्मचारियों के दावेदारों को कुल राशि रूपये 1,97,36,180/- (एक करोड़ सत्यानवे लाख छत्तीस हजार एक सौ अस्सी) का भुगतान किया गया है।
- 3.6 नगर निगम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन के द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये इस योजना का क्रियान्वयन स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है।

4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

- 4.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना दिनांक 1.4.1988 से प्रारंभ की गई है। योजना के प्रारंभ से सफाई कामगारों के वेतन से 31 मार्च, 2006 तक रूपये 12/- और राज्य शासन का अंशदान वार्षिक रूपये 36/- की कटौती की जाती थी और सफाई कामगार की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर रूपये 5,000/- और दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 10,000/- नामित व्यक्ति को एक मुश्त भुगतान किये जाने का प्रावधान था।
- 4.2 1 अप्रैल, 2006 से निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कामगारों के वेतन से रूपये 60/- वार्षिक और राज्य शासन का अंशदान रूपये 180/- वार्षिक निर्धारित किया गया था, जिसके अंतर्गत सफाई कामगार की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 25,000/- और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 50,000/- की राशि नामांकित व्यक्ति को एक मुश्त भुगतान किया जाता था।
- 4.3 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों को आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पुनः योजना के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन कर माह दिसंबर, 2007 से रूपये 120/- वार्षिक और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360/- वार्षिक निर्धारित किया गया है। इस वृद्धि से सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 25,000/- के स्थान पर रूपये 50,000/- और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रूपये 50,000/- के स्थान पर रूपये 1,00,000/- संबंधित दावेदार को भुगतान किये जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है।
- 4.4 वित्तीय वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 97 सफाई कामगारों के प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामित व्यक्तियों को कुल रूपये 47,65,000/- (रूपये सैंतालीस लाख पैसठ हजार) का भुगतान किया गया है।

भाग-चार

अन्य प्रशासनिक विषय

- 1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम**
 - 1.1 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा विभाग के प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति मुख्य रूप से निम्नांकित संस्थाओं के माध्यम से की जाती हैः—
 1. आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल।
 2. क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
 3. आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्वनमेंट, भोपाल।
 4. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद।
 5. यशवंत राव चहाण अकादमी आफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्ण।
 6. आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल।
 - 1.2 वर्ष 2010–11 में विभिन्न विषयों पर विभाग के अंतर्गत कुल 67 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें लगभग 1080 अधिकारी/कर्मचारी और निर्वाचित पदाधिकारीगण लाभान्वित हुए।
 - 1.3 नगरपालिक निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों और निर्वाचित अमले के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक की सहायता से कियान्वित “प्रोजेक्ट उदय” के अंतर्गत यूएन हैबीटेट –वाटर फार एशियन सिटीज प्रोग्राम के सहयोग से चलाये जा रहे हैं।
 - 1.4 विभाग, नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षदगण के प्रबोधन कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करता आ रहा है तथा महिला महापौर, अध्यक्ष, पार्षदों के प्रबोधन के लिए पृथक से प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रमों का आयोजन भी विशेष रूप से किया जा रहा है।
 - 1.5 माह दिसंबर, 2009 में हुए सामान्य निर्वाचन उपरांत नगरीय निकायों की नव–निर्वाचित महिला पार्षदों के प्रशिक्षण का बहुत कार्यक्रम आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्वनमेंट, भोपाल के समन्वय में संचालित किया जा रहा है।
 - 1.6 डीएफआईडी के सहयोग से कियान्वित प्रोजेक्ट उदय अंतर्गत भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में ‘सिटी लेवल ट्रेनिंग कम लर्निंग सेंटर’ स्थापित किये गये हैं, जो स्थानीय स्तर पर इन निकायों के अतिरिक्त समीपस्थ क्षेत्र में पड़ने वाली निकायों के अमले की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

- 2.1 विभाग द्वारा राज्य, संभाग और नगरीय निकायों के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण का वृहत कार्यक्रम लागू किया रहा है। म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत संचालनालय और उसके सभी संभागीय कार्यालयों की कम्प्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता की पूर्ति कर दी गयी है। इसी प्रकार परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी नगरपालिक निगमों को भी उनकी आवश्यकता का आंकलन करने के बाद कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराये गये हैं।
- 2.2 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी “स्टेटिक” और “डायनेमिक” रूप में उपलब्ध है।
- 2.3 म.प्र. गरीबोन्मुख शहरी सेवाएं कार्यक्रम के सहयोग से विभाग की ई—गर्वनेंस आवश्यकताओं की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
- 2.4 विभाग द्वारा संचालनालय और बड़े नगर पालिक निगमों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख सेवायें कार्यक्रम के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया गया है।

3. वीडियो कांफ्रेसिंग

- 3.1 संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के नये प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वयं का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है। नगरीय निकायों के आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

4. ऑन लाईन मनी ट्रांसफर

- 4.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन मनी ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है। इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को विभागीय बजट से मुक्त किये जाने वाले विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से “इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर” द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।
- 4.2 ऑन लाईन मनी ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनों की बचत हुई है। नई प्रक्रिया में कुछ ही घंटों में

अंतरित राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है।

- 4.3 इस प्रक्रिया में निकायों को विभागीय बजट से आवंटित की जाने वाली राशि के मिलान का कार्य अधिक सुगम हुआ है।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- 5.1 “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शासन स्तर पर उप सचिव को लोक सूचना अधिकारी एवं संचालनालय स्तर पर उप संचालक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विभाग स्तर पर सचिव तथा संचालनालय स्तर पर संयुक्त संचालक को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- 5.2 संचालनालय के साथ ही उसके अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों, नगरपालिक निगमों एवं नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के लिए भी लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
- 5.3 “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिये संचालनालय स्तर पर एक पृथक सेल का गठन किया गया है जिसके द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि में किया जाता है।
- 5.4 विभाग के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 10 तक सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	संभाग / कार्यालय	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन	शेष आवेदनों की संख्या
1	संचालनालय	227	200	27
2	इंदौर	9698	7729	1969
3	भोपाल	1582	1292	290
4	जबलपुर	2546	2181	365
5	ग्वालियर	1475	1212	263
6	उज्जैन	2511	2334	177
7	रीवा	3099	2829	270
8	सागर	1654	1382	272
	योग	22792	19159	3633

6. नगरीय निकायों के निर्वाचन

6.1 वर्ष 2010–11 के दौरान प्रदेश की 12 नगरीय निकायों में विद्यमान परिषद का कार्यकाल समाप्त होने/नव गठित निकाय होने के कारण नये चुनाव कराये गये हैं। अधिसूचित क्षेत्र की 52 नगरीय निकायों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार चुनाव नहीं कराये गये हैं।

7. विभागीय नियुक्तियां, पदोन्नतियां, तथा स्थानांतरण

- 7.1 वर्ष के दौरान राज्य सेवा के किसी भी संवर्ग में नई नियुक्ति नहीं हुई है।
- 7.2 वर्ष 2009–10 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों पर की गयी पदोन्नतियों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:—

क्र.	पद जिससे पदोन्नति हुई	पदोन्नत किये जाने वाले पद का नाम	कुल पदोन्नत अधिकारियों की संख्या
1	सहायक संचालक	उप संचालक	01
2	उपयंत्री	सहायक यंत्री	08
3	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ग एवं राजस्व निरीक्षक श्रेणी कक, क एवं ख	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख	24

- 7.3 वर्ष के दौरान विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कुल 428 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये। साथ ही संचालनालय के 21 एवं संभागीय कार्यालयों के 26 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई।

8. नगरीय निकायों का अंकेक्षण

नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. द्वारा किया जाता है।

- 8.1 वर्ष के दौरान कुल 12395 अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण किया गया है।

9. विधि विषयक कार्य

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा प्रशासित निम्नांकित अधिनियमों/नियमों में संशोधन किये गये:—

- 9.1 प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत विकसित की जा रही नई आवासीय कालोनियों एवं

भूखण्डों में आर्थिक रूप से कमज़ोर और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये मकान/भूखण्ड आरक्षित किये जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 विधान सभा के बजट सत्र, 2010 में पारित किया गया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 19 अप्रैल, 2010 को किया गया है।

● ● ●

नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कंटिजेन्सी	कुल	नियमित	कंटिजेन्सी	कुल	नियमित	कंटिजेन्सी	कुल	
1.	आयुक्त	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
2.	अपर संचालक	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
3.	संयुक्त संचालक	2	—	2	2	—	2	—	—	—	
4.	संयुक्त संचालक (वित्त सेवा)	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
5.	उप संचालक	4	—	4	4	—	4	—	—	—	
6.	सहायक संचालक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
7.	सांचियकी अधिकारी	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
8.	सहायक सांचियकी अधिकारी	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
9.	अधीक्षक	2	—	2	2	—	2	—	—	—	
10.	सहायक अधीक्षक	2	—	2	2	—	2	—	—	—	
11.	वरिष्ठ सहायक	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
12.	लेखा अधिकारी एस.ए.एस	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
13.	लेखा अधिकारी/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	—	2	2	—	2	—	—	—	
14.	चुंगी लेखापाल एस.ए.एस.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
15.	वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड-1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
16.	निज सहायक ग्रेड-2	2	—	2	—	—	—	2	—	2	पद के विरुद्ध वेतन आहरण
17.	शीघ्र लेखक ग्रेड-3	5	—	5	5	—	5	—	—	—	
18.	सहायक ग्रेड-1	18	—	18	18	—	18	—	—	—	
19.	लेखापाल	7	—	7	4	—	4	3	—	3	
20.	सहायक ग्रेड-2	15	—	15	15	—	15	—	—	—	

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कंटिजेन्सी	कुल	नियमित	कंटिजेन्सी	कुल	नियमित	कंटिजेन्सी	कुल	
21.	स्टेनोटायपिस्ट	3	—	3	2	—	2	1	—	1	
22.	सहायक ग्रेड-3	30	—	30	19	—	19	11	—	11	
23.	वाहन चालक	5	2	7	6	—	6	—	2	2	एक नियमित वाहन चालक सांख्येत्तर होने से अधिक है।
24.	दफतरी	4	—	4	3	—	3	1	—	1	
25.	भूत्य	16	—	16	09	—	09	7	—	7	
26.	फर्राश सह चौकीदार	7	—	7	8	—	8	—	—	—	1 नियमित फर्राश सह चौकीदार सांख्येत्तर होने से अधिक है।
27.	हेल्पर	1	2	3	1	—	1	—	2	2	
	चौकीदार	—	1	1	—	—	—	—	1	1	
योग:-		139	5	144	116	—	116	26	5	31	

संभागीय उप संचालक नगरीय प्रशासन और विकास कार्यालय मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कंटिजेन्सी	कुल	नियमित	कंटिजेन्सी	कुल	नियमित	कंटिजेन्सी	कुल	
1	उप संचालक	7	—	7	7	—	7	—	—	—	प्रतिनियुक्ति से भरे हैं
2	सहायक अधीक्षक	7	—	7	5	—	5	2	—	2	
3	सहायक वर्ग-1	21	—	21	19	—	19	2	—	2	
4	लेखापाल	7	—	7	2	—	2	5	—	5	
5	सहायक वर्ग-2	21	—	21	21	—	21	—	—	—	
6	सहायक वर्ग-3	28	—	28	12	—	12	16	—	16	
7	स्टेनो-टायपिस्ट	7	—	7	3	—	3	4	—	4	
8	वाहन चालक	3	—	3	1	—	1	2	—	2	
9	भूत्य	14	—	14	14	—	14	—	—	—	
	योग	115	—	115	84	—	84	31	—	31	

यांत्रिकी प्रकोष्ठ संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	मुख्य अभियंता	01	01	—	
2.	अधीक्षण यंत्री	02	01	01	
3.	कार्यपालन यंत्री	02	02	—	पद के विरुद्ध वेतन आहरण
4.	सहायक यंत्री	04	05	—	1 सहा. यंत्री अतिरिक्त
5.	प्रशासकीय अधिकारी	01	01	—	
6.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	03	03	—	
7.	सहायक संचालक	01	01	—	
8.	उपयंत्री	02	01	01	
9.	शीघ्रलेखक	02	02	—	
10.	सहायक अधीक्षक	01	—	01	
11.	लेखापाल	01	01	—	
12.	मानचित्रकार	02	02	—	
13.	स्टेनो टायपिस्ट	01	01	—	
14.	अग्रेंजी टायपिस्ट	01	01	—	
15.	ट्रेसर	01	01	—	
16.	सहायक वर्ग-3	07	07	—	
17.	व्यवस्थापक	01	01	—	पद के विरुद्ध वेतन आहरण
18.	वाहन चालक	12	08	04	
19.	भृत्य	11	11	—	
20.	चेनमेन	01	01	—	
21.	माली	03	01	02	
22.	चौकीदार	03	02	01	
23.	सफाई कामगार	06	02	04	
24.	मॉडलर	02	01	—	
25.	पप अटेंडेंट	01	01	—	
26.	इलेक्ट्रीशियन	01	01	—	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
27.	वाटरमेन	01	01	—	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत

यांत्रिकी प्रकोष्ठ संभागीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	अधीक्षण यंत्री	02	02	—	
2	कार्यपालन यंत्री	07	01	6	रिक्त पद का प्रभार सहायक यंत्री को सौंपा गया है।
3	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	02	02	—	
4	सहायक यंत्री	14	14	—	
5	उपयंत्री	07	07	—	
6	मानचित्रकार	07	02	5	मानचित्रकार पद के विरुद्ध उपयंत्री पदस्थ हैं।
7	ट्रेसर	07	04	03	
8	सहायक वर्ग-3	14	14	—	
9	भृत्य	14	14	—	
10	चौकीदार	08	04	—	

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	38	36	02	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	50	26	24	—“—
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	07	31	—“—
4	आशुलिपिक	38	07	31	—“—
5	वाहन चालक	20	12	8	—“—
6	भूत्य	76	20	56	—“—
7	फर्रश सह चौकीदार	35	10	25	—“—
8	सामुदायिक संगठक (संविदा पर रूपये 4500 प्रतिमाह)	388	240	148	संविदा नियुक्ति से भरे जाते हैं
योग		683	358	325	

परिशिष्ट—दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	5. करेरा 6. कोलारस 7. खनियाधाना 8. पिछोर 9. बदरवास 10. नरवर
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	11. चाचौडाबीनागंज 12. आरोन 13. कुंभराज
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	14. मुगावली 15. ईसागढ़
	5. दत्तिया		7. दत्तिया	16. भाण्डेर 17. इंदरगढ़ 18. सेवड़ा 19. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद	20. मेहगांव 21. लहार 22. गोरमी 23. अकोड़ा 24. मिहोना 25. आलमपुर 26. दबोह 27. मौ 28. फूफकलां
	7. मुरैना		10. मुरैना 11. अम्बाह 12. पोरसा 13. सबलगढ़.	29. जौरा 30. कैलारस 31. झुण्डपुरा 32. बामौर

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
	8. श्योपुरकलां		14. श्योपुरकलां	33. विजयपुर 34. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	2. इंदौर		35. देपालपुर 36. सांवेर 37. गौतमपुरा 38. बेटमा 39. राऊ 40. हातौद 41. मानपुर 42. महुगांव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17. पीथमपुर	43. राजगढ़ 44. कुक्षी 45. बदनावर 46. धरमपुरी 47. धामनौद 48. सरदारपुर 49. मांडव 50. डही
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	51. अंजड़ 52. राजपुर 53. खेतिया 54. पानसेमल 55. पलसूद
	12. झाबुआ		20. झाबुआ	56. थांदला 57. पेटलावद 58. रानापुर
	13. अलीराजपुर		21. अलीराजपुर	59. जोबट 60. भावरा
	14. पश्चिम निमाड़ (खरगौन)		22. खरगौन 23. सनावद 24. बड़वाह	61. मण्डलेश्वर 62. कसरावद 63. भीकनगांव 64. महेश्वर
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	3. खंडवा		65. मूंदी 66. पंधाना 67. ओंकारेश्वर 68. छनेरा

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
	16. बुरहानपुर	4. बुरहानपुर	25. नेपानगर	69. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	5. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	70. तराना 71. उन्हेल 72. माकडोन
	18 नीमच		30. नीमच	73. मनासा 74. रामपुरा 75. जावद 76. जीरन 77. रतनगढ़ 78. सिंगोली 79. डिकेन 80. कुकड़ेश्वर
	19. देवास	6. देवास		81. कन्नौद 82. सोनकच्छ 83. खातेगांव 84. हाटपिपल्या 85. बागली 86. भौरासा 87. करनावद 88. काटाफोड़ 89. लोहारदा 90. सतवास 91. टोंकखुर्द 92. पिपलरंवा
	20. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर 33. आगर	93. नलखेड़ा 94. मक्सी 95. बडौद 96. कानड 97. अकोदिया 98. सुसनेर 99. सोयतकला 100. बड़ागांव 101. पोलायकला

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
	21. रतलाम	7. रतलाम	34. जावरा	102. ताल 103. सैलाना 104. आलोट 105. नामली 106. बड़ावदा 107. पिपलौदा 108. धामनौद
	22. मंदसौर		35. मंदसौर	109. शामगढ़ 110. सीतामऊ 111. पिपल्यामंडी 112. नारायणगढ़ 113. मल्हारगढ़ 114. भानपुरा 115. नगरी 116. गरोठ 117. सुवासरा
5. भोपाल	23. भोपाल	8. भोपाल	36. कोलार 37. बैरसिया	
	24. सीहोर		38. सीहोर 39. आष्टा	118. इछावर 119. बुदनी 120. जावर 121. नसरुल्लागंज 122. रेहटी 123. कोठरी 124. शाहगंज
	25. रायसेन		40. रायसेन 41. बेगमगंज 42. मण्डीदीप	125. औबेदुल्लागंज 126. सुल्तानपुर 127. बरेली 128. बाड़ी 129. सांची 130. उदयपुरा 131. सिलवानी 132. गैरतगंज

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
	26. विदिशा		43. विदिशा 44. गंज बासौदा 45. सिरोंज	133. कुरवाई 134. लठेरी 135. शमशाबाद
	27. राजगढ़		46. नरसिंहगढ़ 47. सारंगपुर 48. व्यावरा	136. राजगढ़ 137. जीरापुर 138. खिलचीपुर 139. तलेन 140. बोड़ा 141. खुजनेर 142. पचोर 143. सुठालिया 144. माचलपुर 145. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	28. होशंगाबाद		49. होशंगाबाद 50. इटारसी 51. सिवनीमालवा 52. पिपरिया	146. बाबई 147. सोहागपुर
	29. हरदा		53. हरदा	148. टिमरनी 149. खिड़किया
	30. बैतूल		54. बैतूल 55. आमला 56. सारणी 57. मुलताई	150. बैतूल बाजार 151. भैंसदेही 152. आठनेर 153. चिचोली
7. सागर	31. सागर	9. सागर	58. बीना इटावा 59. खुरई 60. गढ़ाकोटा 61. रेहली 62. देवरी	154. राहतगढ़ 155. बंडा 156. शाहपुर 157. शाहगढ़
	32. दमोह		63. दमोह 64. हटा	158. तेंदुखेड़ा 159. पथरिया 160. हिन्डोरिया

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
	33. पन्ना		65. पन्ना	161. अमानगंज 162. देवेन्द्र नगर 163. अजयगढ़ 164. ककरहटी 165. पवई
	34. छतरपुर		66. छतरपुर 67. नौगांव	166. धुवारा 167. सटई 168. बारीगढ़ 169. महाराजपुर 170. बिजावर 171. गढ़ीमल्हरा 172. बक्सवाहा 173. चंदला 174. बड़ामल्हरा 175. हरपालपुर 176. लौड़ी 177. खजुराहो 178. राजनगर
	35. टीकमगढ़		68. टीकमगढ़	179. निवाड़ी 180. पृथ्वीपुर 181. बल्देवगढ़ 182. खरगापुर 183. पलेरा 184. जैरोनखालसा 185. तरीचरकलां 186. जतारा 187. लिधोराखास 188. बड़ागांव 189. कारी 190. ओरछा
8. रीवा	36. रीवा	10. रीवा		191. बैंकुंठपुर 192. मउगंज 193. त्यैंथर 194. हनुमना 195. चाकधाट 196. गोविन्दगढ़.

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
				197. नईगढ़ी 198. सिरमौर 199. मनगवां 200. सेमरिया 201. गुढ़
	37. सीधी		69. सीधी	202. चुरहट 203. रामपुरनेकिन 204. मझोली
	38. सिंगरौली	11. सिंगरौली		
	39. सतना	12. सतना	70. मैहर	205. नागौद 206. बिरसिंहपुर 207. जैतवारा 208. कोटर 209. कोठी 210. अमरपाटन 211. रामपुर—बघेलान 212. उचेहरा 213. चित्रकूट
9. शहडोल	40. शहडोल		71. शहडोल 72. धनपुरी	214. बुढ़ार 215. व्यौहारी 216. जयसिंहनगर 217. खाण्ड
	41. अनूपपुर		73. अनूपपुर 74. कोतमा 75. पसान 76. बिजूरी	218. जैतहरी 219. अमरकंटक
	42. उमरिया		77. उमरिया	220. चंदिया 221. नौरोजाबाद 222. पाली
10. जबलपुर	43. जबलपुर	13. जबलपुर	78. पनागर 79. सिहोरा	223. बरेला 224. भेड़ाघाट 225. शाहपुरा 226. पाटन 227. मझोली 228. कटंगी

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिका निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
	44. कटनी	14. मुड़वारा कटनी		229. बरही 230. कैमोर 231. विजयराधवगढ़
	45. बालाघाट		80. बालाघाट 81. वारासिवनी 82. मलाजखंड	232. कटंगी 233. बैहर 234. लांजी
	46. छिन्दवाड़ा		83. छिन्दवाड़ा 84. पांडुर्ना 85. जुन्नारदेव जामई) 86. डोगर परासिया 87. दमुआ 88. चौरई 89. अमरवाड़ा 90. सौंसर	235. हरई 236. लोधीखेड़ा 237. न्यूटन चिखली 238. चांदामेटा बुटारिया 239. मोहगांव 240. बडकुही 241. पिपलानारायणवार
	47. नरसिंहपुर		91. नरसिंहपुर 92. गाडरवारा 93. करेली	242. गोटेगांव 243. तेंदूखेड़ा
	48. सिवनी		94. सिवनी	244. लखनादौन 245. बरघाट
	49. मंडला		95. मंडला 96. नैनपुर	246. बम्हनीबंजर 247. निवास 248. बिछिया
	50. डिण्डोरी			249. डिण्डोरी 250. शाहपुरा

नगर पालिका निगम	14
नगरपालिका परिषद	96
नगर पंचायत	250
योग	360

नगरीय प्रशासन एवं विकास
वर्ष 2010 –11 का बजट प्रावधान तथा व्यय
आयोजना

परिशिष्ट—तीन (एक)
(रूपये लाख में)

शीर्ष क.	योजना का नाम		बजट प्रावधान वर्ष 10 –11 (प्रथम अनुपूरक सहित)				जनवरी, 2011 तक व्यय			
			सामान्य 22 / 75	एससीएसपी 53	टीएसपी 68	योग	सामान्य 22 / 75	एससीएसपी 53	टीएसपी 68	योग
1	2	3	8	9	10	11	16	17	18	19
केंद्र प्रवर्तित योजनायें										
2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	1566.00	231.00	88.00	1885.00	1566.00	231.00	88.00	1885.00
2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार स्थापना व्यय	51.66	0.00	0.00	51.66	43.05	0.00	0.00	43.05
2217	9206	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं										
2217	7905 / 4217 6217	नगर निगमों में मूलभूत सुविधा का विकास (एडीबी)	24746.20	6210.30	0.00	30956.50	8712.25	1659.30	0.00	10371.55
2217	7321	म प्र अर्बन सर्विसेस फॉर पुअर	6055.41	950.00	0.00	7005.41	5803.00	860.00	0.00	6663.00
केंद्रीय अंशदान प्राप्त योजनाएं										
2217	6981	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	31813.63	1863.10	863.30	34540.03	5300.87	302.23	140.18	5743.28
2217	6982	एकीकृत शहरी एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	2965.71	220.50	496.30	3682.51	605.46	45.57	113.02	764.05

नगरीय प्रशासन एवं विकास
वर्ष 2010 –11 का बजट प्रावधान तथा व्यय
आयोजना

परिशिष्ट—तीन (एक)
(रूपये लाख में)

राज्य योजनायें									
6047	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	10.00	0.00	0.00	10.00	1.25	0.00	0.00	1.25
179	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना	0.00	71.28	0.00	71.28	0.00	71.28	0.00	71.28
5522	राज्य शहरी स्वच्छता मिशन	769.34	222.55	133.13	1125.02	392.42	55.00	27.50	474.92
5726	म.प्र.शहरी अधोसंचना कोष	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5864	हाथ ठेला एवं सायकल रिक्षा कल्याण योजना	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
6008	एम्स क्षेत्र के नालों का डायवर्शन (प्रथम अनुपूरक)	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022	मास रेपीड टांसपोर्ट सिस्टम सर्वे	110.30	0.00	0.00	110.30	45.15	0.00	0.00	45.15
8163	नगर विकास योजना	1069.00	0.00	0.00	1069.00	1052.00	0.00	0.00	1052.00
6024	शहरी घरेलू कामकाजी महिला	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00
6298	ग्लोबल इन्वेस्टर्स समीट 2010	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7400	सिंहस्थ—2016 की व्यवस्था	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028	आईएलसीएस	89.09	0.00	0.00	89.09	22.27	0.00	0.00	22.27
6028	आईएलसीएस (केन्द्रांश)	445.44	0.00	0.00	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6221	यूआईडीएसएसएमटी	4454.30	0.00	0.00	4454.30	4355.17	0.00	0.00	4355.17
6154	राजीव आवास योजना	576.50	0.00	0.00	576.50	288.25	0.00	0.00	288.25
6297	जल प्रदाय योजना के लिये एक मुश्त सहायता	7500.00	0.00	0.00	7500.00	3755.00	0.00	0.00	3755.00
5169	मध्यान्ह भोजन	2841.12	710.28	394.68	3946.08	आवंटन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया है।			
	योग	86403.70	10479.01	1975.41	98858.12	32672.14	3224.38	368.70	36265.22

परिशिष्ट – तीन (दो)

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय
वर्ष 2010 –11 का बजट प्रावधान, आवंटन एवं व्यय
आयोजनेत्तर

(रूपये लाख में)

मांग	शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2010–11	आवंटन	अद्यतन व्यय
संख्या					25 जनवरी 2011 तक व्यय	
1	2	3	4	5	8	9
22	2217	2122	पेशन योजना के कियान्वयन के लिये (वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय)	62.40	62.40	52.00
22	2217	6148	वेतन भत्ते संचालनालय एवं संभागीय कार्यालय	456.34	456.34	380.28
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (मानदेय)	2.30	2.30	1.92
	2217	5831	म.प्र. सफाई कामगार आयोग का गठन	18.88	18.88	7.86
22	2217	6286	लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान	16.50	16.50	0.00
			योग मांग संख्या 22	556.42	556.42	442.06
75	2215	2181	नगरीय जल प्रदाय योजना का संधारण	2387.00	2387.00	1790.28
75	3604	8017	सड़क मरम्मत	8000.00	8000.00	6513.32
75	3604	8018	चुगी क्षतिपूर्ति प्रवेश कर	143080.00	143080.00	107554.77
75	3604	8860	10 प्रतिशत अधिभार (मूलभूत)	36900.00	36900.00	30242.66

मांग	शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2010–11	आवंटन	अद्यतन व्यय
संख्या					25 जनवरी 2011 तक व्यय	
1	2	3	4	5	8	9
75	3604	3217	अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दण्ड की वसूली	0.10	0.10	0.00
75	3604	4035	विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भारित	6468.00	6468.00	6468.00
75	3604	9436	यात्री कर की क्षतिपूर्ति	9000.00	9000.00	6750.27
75	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज	1500.00	1500.00	0.00
75		6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजना के लिए विद्युत व्यय की पूर्ति	1000.00	1000.00	0.00
75		6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	1000.00	1000.00	0.00
75		7668	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) राज्य वित्त आयोग	12274.00	12274.00	9918.37
75	2217	6244	13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	13910.00	13910.00	6955.01
75	2217	6226	13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	394.20	394.20	197.10
75	2217	6310	नव निर्वाचित महिला पार्षदों को प्रशिक्षण	50.00	50.00	15.00
75	2217	6391	मण्डला समागम – 2011	515.00	515.00	515.00
			योग मांग संख्या 75	236478.30	236478.30	176919.78
			कुल योग	237034.72	237034.72	177361.84

जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (JNNURM) के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम

जेएनएनयूआरएम का मूल उद्देश्य शहरी शासन एवं सेवा वितरण में सुधार लाने को सुनिश्चित करना है, ताकि नगरीय निकाय वित्तीय रूप से मजबूत बन सके एवं नये कार्यक्रम का जिम्मा लेने के लिए सतत् कार्य कर सकें। यह उद्देश्य इस बात पर भी बल देता है कि सुधार चार्टर जिनका पालन राज्य सरकारों एवं नगरीय निकायों के द्वारा किया जाना है, जन निजी भागीदारी के तहत कार्य कराये जाने को विशेष महत्व दिया जाए।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार एजेण्डा नीचे दिया गया है पहचान किए हुए सुधारों में नेशनल स्टीरिंग ग्रुप (एनएसजी) अतिरिक्त सुधारों को जोड़ सकता है। केन्द्रीय सहायता पाने के लिए पूर्व अपेक्षित राज्य/नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसियों एवं भारत सरकार के बीच इस सुधार की प्रत्येक मद के लिए प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

मिशन अवधि के अन्दर सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक सुधार पूर्ण कर लिए जाएंगे।

1. अनिवार्य सुधार

नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल में आधुनिक एकुअल आधारित दुगुनी लेखागणना प्रविष्टि प्रणाली को अपनाना।

(ख) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा प्रदान विभिन्न सेवाओं के लिए जी.आई.एस. एवं एमआईएस को उपयोग में लाते हुए ई-गवर्नेंस प्रणाली का परिचय।

(ग) जीआईएस सहित संपत्ति कर सुधार। भावी प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकाय द्वारा इसको राजस्व का व्यापक स्त्रोत बनाया जा सकता है, ताकि संग्रहण प्रणाली को आगामी सात वर्षों में कम से कम 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके।

(घ) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल के द्वारा समुचित उपयोगकर्ता प्रभार की उगाही इस उद्देश्य के साथ कि संधारण – संचालन की पूर्ण लागत एवं रिकरिंग लागत का संग्रहण आगामी सात वर्षों के अन्दर किया जाता है, तथापि, उत्तरपूर्ण एवं विशेष श्रेणी के राज्य के कस्बों एवं शहर प्रारंभिक तौर पर संधारण–संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल कर सकते हैं। ये शहर एवं कस्बे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण संधारण–संचालन लागत वसूली जुटा सकते हैं।

(ड) शहरी गरीब को मूलभूत सुविधाएं स्थानीय निकायों में आंतरिक पहचान बजट।

(च) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए वहनीय मूल्यों पर प्रतिभूति की अवधि, सुधार आवास, जल आपूर्ति एवं सरकार की विद्यमान अन्य यूनिवर्सल सेवाओं के प्रदाय को सम्मिलित करते हुए शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान।

2. राज्यों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिए गए अनुसार विकेन्द्रीकरण साधनों का क्रियान्वयन। राज्य नागरिकों को सेवाओं के वितरण के साथ-साथ पैरास्टेटल एजेंसियों के कार्य की योजना में नगरीय निकाय के संयोजन एवं अर्थ पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित करें।

(ख) अर्बन लेण्ड सीलिंग रेग्यूलेशन एक्ट।

(ग) भूमि स्वामी एवं किरायेदारों के हित को बनाए रखते हुए किराया नियंत्रण कानून में सुधार।

(घ) आगामी सात वर्षों में 5 प्रतिशत से अधिक स्टाम्प ड्यूटी को कम करने का युक्तियुक्त करण।

(ङ) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान की तैयारी को सुनिश्चित करने संबंधी सार्वजनिक प्रकटन कानून अधिनियम।

(च) नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समुदाय भागीदारी कानून अधिनियम एवं शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा की धारणा का परिचय देना।

(छ) सात वर्षों की अवधि में “शहरी योजना कार्य नगरीय निकायों को अंतरित करना या उनको लागू करने में निकायों को भागीदार बनाना।

टिप्पणी— जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सामान्य जनता उन्मुख योजनाओं के संबंध में नीचे दिए गए राज्य स्तरीय सुधारों को वैकल्पिक सुधारों के रूप में लिया जा सकता है :

(क) शहरी भूमि सीमा एवं नियमन अधिनियम

(ख) किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार

3. वैकल्पिक सुधार (राज्यों, नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के लिए सामान्य)

(क) भवनों, स्थल विकास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपविधिकों में संशोधन।

(ख) कृषि, गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के परिवर्तन हेतु विधिक एवं प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क का सरलीकरण।

(ग) नगरीय निकाय में संपत्ति हक प्रमाणन का परिचय।

(घ) कास सब्सिडी की व्यवस्था सहित ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी दोनों एजेंसियों के लिए) में विकसित भूमि को कम से कम 25–25 प्रतिशत तक चिन्हित करना।

(ङ) भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया लागू करना।

(च) सभी भवनों में वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण साधनों को अपनाने के लिए उपविधियों में संशोधन।

(छ) चक्रित जल के पुनः प्रयोग हेतु उपविधियाँ।

(ज) प्रशासनिक सुधार अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), सेवानिवृत्ति आदि की वजह से खाली पदों का न भरा जाना एवं इस संबंध में विनिर्दिष्ट लक्ष्य अपना कर मूलभूत लागतों में कटौती करना।

(i) ढॉचागत सुधार

(ii) जन निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

टिप्पणी : जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में शहर अपने कियान्वयन में वैकल्पिक श्रेणी के किन्हीं भी सुधारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

परिशिष्ट—पांच

**जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (JNNURM)
के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएँ
(राशि रु. लाख में)**

सं. क्र.	उपमिशन	वर्ष	शहर/ क्रियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत
1	शहरी अधोसंरचना एवं सु—शासन	2005—06	न.नि. भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	1418.00
2		"	न.नि. इंदौर	यशवत सागर जल आर्वधन योजना	2375.00
3		2006—07	न.नि. भोपाल	नाला निर्माण (स्टार्म वाटर ड्रेन चेनेलाईजेशन आफ नाला)	3057.00
4		"	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन स्केप मार्ट	811.00
5		"	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ^{इन एम.पी. नगर}	1894.00
6		"	न.नि. भोपाल	बी.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट	23776.00
7		"	न.नि. इंदौर	बी.आर.टी.एस. (पायलेट प्रोजेक्ट)	9845.00
8		"	न.नि. इंदौर	सीवरेज प्रोजेक्ट	30717.00
9		"	न.नि. इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ 8 फीडर रोड	4083.35
10		"	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ लिंक रोड फाम व्हाईट चर्च टू बायपास रोड	1966.34
11		"	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ मास्टर प्लान लिंक रोड एम.आर. 9	3974.64
12		"	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस—I	7801.00
13		"	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस-II	7081.00
14		2007—08	न.नि.इंदौर	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	4324.66
15			न.नि.भोपाल	नर्मदा वाटर सप्लाई फेस-1	30604.16
16			इंदौर विकास प्राधिकरण	आर.ओ.बी. एट जूनी इंदौर रेलवे कासिंग	631.00
17			न.नि.उज्जैन	रीआर्गनाईजेशन आफ वाटर सप्लाई सिस्टम	6686.44
18		2008—09	न.नि.भोपाल	वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आफ भोपाल म्युनिसिपल एरिया	41545.64
19			न.नि.इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ मल्टी लेवल पार्किंग एट 20 डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर सिटी	5600.00
20			न.नि. जबलपुर	रिहेबिलिटेशन आफ एक्सस्टिंग पंपिंग स्टेशन एट रांझी फगुआ एंड कंस्ट्रक्शन आफ न्यू पंपिंग स्टेशन एट भोगेदवर डब्ल्यूटीपी	1406.00

सं. क्र.	उपनिशन	वर्ष	शहर/ क्रियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत
21			न.नि.भोपाल	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट	8875.00
22			न.नि.इंदौर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट	5975.00
23			न.नि.जबलपुर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट	3100.00
24			न.नि. उज्जैन	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट	1420.00
25		2009—10	न.नि.जबलपुर	इन्टीग्रेटेड स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम (इनक्लूडिंग ओमतीनाला)	32649.00
26			न.नि. उज्जैन	रिस्टोरेशन एंड कंसरवेशन फार महाकाल एंड गोपाल मंदिर विरासत क्षेत्र (हेरीटेज प्रोजेक्ट)	4739.00
27		2010—11	न.नि. इंदौर	रिवर साईड कॉरिडोर प्रोजेक्ट ऑफ बीआरटीएस	18000.00
				योग (अ)	264355.23
28	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं				
		2005—06	न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ श्यामनगर, ऋषिनगर स्लम	1600.00
29			न.नि.भोपाल	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ इन्द्रपुरी, कल्पना नगर (स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम)	253.74
30			न.नि.भोपाल	स्लम रीहेबिलीटेशन आफ रोशनपुरा	4714.74
31			न.नि.भोपाल	डेवलपमेंट आफ वीकली मार्केट एट कोटरा (व्हाय रीहेबिलीटेशन एक्सेसटिंग स्लम)	936.00
32		2006—07	न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस—I	3950.01
33			न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस-II	4111.13
34			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाबा नगर, शाहपुरा	2661.37
35			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ गंगा नगर एंड आराधना नगर एट कोटरा	2473.33
36			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ अर्जुन नगर, भीम नगर, मद्रासी कालोनी, राहुल नगर	5263.29
37			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस—I	1710.20
38			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस-II	1342.87
39			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाजपेई नगर, पुलिस लाईन, कोहेफिजां, अय्यूब नगर, माता मढ़िया एंड बेलार कालोनी	5083.80
40		इंदौर विकास प्राधिकरण		स्लम रीहेबिलीटेशन एवं रीसेटेलमेंट स्कीम नंबर 134	1242.40

सं. क्र.	उपमिशन	वर्ष	शहर / क्रियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत
41			न.नि. इंदौर	स्लम रीडेवलपमेंट एट डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर	6193.15
42			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (लालकुआं)	2472.00
43			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (बागरा दफाई)	2314.00
44			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ बसोर मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला और बल्दूकोरी की दफाई	2543.00
45			न.नि. जबलपुर	रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ छुई खदान एंड एरिया बिहांझ बोर्न कंपनी	1424.00
46		2007–08	न.नि. उज्जैन	स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम	1740.91
47		2008–09	भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –1	5568.00
48			भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट –2	4676.00
49			न.नि. इंदौर	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम	8153.00
				योग (ब)	70426.94
				कुल योग (अ+ब)	334819.47

परिशिष्ट-चह

आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनायें

स. क.	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	विदिशा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	70	184.98
2.	गंजबासौदा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	60	170.51
3.	सिरोंज पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	48	160.95
4.	सिरोंज पार्ट 2	मूलभूत अधोसंरचना	—	18.89
5.	लटेरी	शहरी गरीबों को मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	—	44.87
6.	ग्वालियर	शहरी गरीबों की आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	4576	5362.02
7.	देवास पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	1216	1715.32
8.	देवास पार्ट 2	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	1384	1932.57
9.	खंडवा पार्ट 1	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	1296	1738.39
10.	खंडवा पार्ट 2	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	812	1073.96
11.	दमोह	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	104	229.83
12.	बालाधाट	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	966	1297.95
13.	बेरसिया	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	160	174.80
14.	कुरवाई	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	48	95.91

सं. क्र.	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
15.	कटनी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	2182	2918.14
16.	नरसिंहपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	651	839.88
17.	मझौली	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	140	215.31
18.	बरेला	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	120	225.47
19.	पाटन	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	120	227.52
20.	शाहपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	104	153.89
21.	देपालपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	96	399.81
22.	पानसेमल	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	128	293.87
23.	खुजनेर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	100	241.25
24.	बेटमा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	96	313.94
25.	गौतमपुरा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	96	395.70
26.	कटंगी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	160	249.98
27.	पेटलावद	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	240	342.33
28.	इटारसी	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	153	363.53

सं. क्र.	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
29.	मण्डीदीप	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	180	330.59
30.	होशंगाबाद	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	297	517.55
31.	ओरछा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	192	344.73
32.	बुरहानपुर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	833	1365.85
33.	जावरा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	167	247.73
34.	सागर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	480	777.07
35.	छिन्दवाड़ा	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	500	742.00
36.	मोहगांव	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	267	616.38
37.	सौंसर	शहरी गरीबों को आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना संबंधित परियोजना	461	712.52
38.	हर्ई	आवास निर्माण अधोसंरचना	139	339.00
39.	चांदामेटा	आवास निर्माण अधोसंरचना	212	676.16
40.	मंदसौर	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	1250.00
41.	खरगोन	आवास निर्माण अधोसंरचना	200	491.00
42.	रीवा	आवास निर्माण अधोसंरचना	248	667.49
43.	सतना	आवास निर्माण अधोसंरचना	270	733.01
44.	सिंगरौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	300	733.33
		योग :-	20372	31925.98

परिशिष्ट-सात

यूआईडीएसएसएमटी के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

स.क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	नगर पालिका विदिशा	जल प्रदाय योजना सीवरेज योजना सड़क निर्माण	1557.52 218.00 73.58
2	नगर पालिका गढ़ाकोटा	जल प्रदाय योजना सड़क निर्माण	596.36 143.76
3	नगर पालिका दमोह	जल प्रदाय योजना पाईप का जीर्णोद्धार गजानन क्षेत्र में पाईप का जीर्णोद्धार तालाब संरक्षण सड़क निर्माण	874.20 62.35 130.17 53.00 418.97
4	नगर पालिका टीकमगढ़	जल प्रदाय योजना	983.18
5	नगर पालिका मलाजखंड	जल प्रदाय योजना नाला निर्माण	525.42 27.60
6	नगर पालिका इटारसी	जल प्रदाय योजना सीवरेज योजना सड़क निर्माण	1467.83 708.43 844.57
7	नगर पंचायत बुदनी	जल प्रदाय योजना सीवरेज योजना	194.60 195.05
8	नगर पालिका जावरा	जल प्रदाय योजना सीवरेज योजना	663.00 294.25
9	नगर पंचायत रेहटी	सीवरेज योजना जल प्रदाय योजना	143.48 276.48
10	नगर पालिका डबरा	जल प्रदाय योजना स्त्रोत निर्माण	1441.84 1112.10
11	नगर पालिका सीहोर	जल प्रदाय योजना	1454.52
12	नगर निगम रतलाम	जल प्रदाय योजना	3265.10
13	नगर निगम खण्डवा	जल प्रदाय योजना	10672.30
14	नगर निगम देवास	जल प्रदाय योजना	5837.00
15	नगर पालिका शिवपुरी	जल प्रदाय योजना	5964.66

क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
16	नगर पालिका रहली	जल प्रदाय योजना	602.75
17	नगर पालिका छतरपुर	जल प्रदाय योजना	1593.80
18	नगर पालिका ब्यावरा	जल प्रदाय योजना	709.47
19	नगर निगम रीवा	जल प्रदाय योजना	1427.87
20	नगर पालिका सिरोंज	जल प्रदाय योजना	622.95
21	नगर पालिका सनावद	जल प्रदाय योजना	729.68
22	नगर पालिका शुजालपुर	जल प्रदाय योजना	1745.32
23	नगर पालिका मंदसौर	जल प्रदाय योजना	1552.45
24	नगर पालिका पन्ना	जल प्रदाय योजना	1808.37
25	नगर पालिका आष्टा	जल प्रदाय योजना	980.40
26	नगर पंचायत नरुल्लागंज	जल प्रदाय योजना	488.96
27	नगर पालिका होशंगाबाद	जल प्रदाय योजना	1615.26
28	नगर पालिका आगर	जल प्रदाय योजना	1005.80
29	नगर निगम घ्वालियर	सीवरेज योजना	6650.00
30	नगर पालिका शाजापुर	जल प्रदाय योजना	996.00
31	नगर पालिका हरदा	जल प्रदाय योजना	1787.00
32	नगर निगम सागर	सीवरेज योजना	7661.55
33	नगर निगम कटनी	जल प्रदाय योजना	4080.95
		योग	76257.90

प्रदेश में हाथठेला एवं साइकिल रिक्षा चालकों की पंचायत पर की गई घोषणाओं का अनुपालन

क्र.	घोषणा	अनुपालन की स्थिति
1.	सर्वेक्षण एवं परिचय पत्र जारी करना।	दिनांक 31.12.10 तक कुल 16000 साइकिल रिक्षा चालकों एवं 65000 हाथठेला चालकों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर शत—प्रतिशत परिचय—पत्र वितरित किये गये।
2.	साइकिल रिक्षा/हाथठेला चालकों को मालिकाना हक देने के लिए ऋण योजना लागू की जायेगी।	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत 12924 हाथठेला चालकों को रूपये 5.5 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई। इसी प्रकार 3162 साइकिल रिक्षा चालकों को रूपये 1.32 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
3.	हाथठेला/साइकिल रिक्षा चालक वर्ग को निःशुल्क बीमा योजना उपलब्ध करायी जायेगी।	दिसम्बर, 2010 तक योजनांतर्गत 9182 साइकिल रिक्षा चालकों तथा 45766 हाथठेला चालकों का बीमा कराया गया। इस प्रकार कुल 54948 लोगों का बीमा कराया गया।
4.	साइकिल रिक्षा चालकों के लिए शेड बनाये जायेंगे।	154 स्थल चिन्हांकित एवं 47 का निर्माण कार्य पूर्ण।
5.	हाथठेला चालकों के लिए हाकर्स जोन बनाये जायेंगे।	599 स्थलों का चिन्हांकन तथा 194 हाकर्स जोन निर्मित हुए।
6.	प्रति वर्ष 31 जनवरी को साइकिल रिक्षा/हाथठेला चालक दिवस मनाया जायेगा।	दिनांक 20 मई, 2009 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये।
7.	मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, विवाह सहायता, अंतिम संस्कार सहायता योजना बनायी जायेगी।	सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 4 जून 2009 को समस्त कलेक्टरों को निराश्रित निधि से जिला शहरी विकास अभिकरणों को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये।
8.	न्यूनतम मजदूरी दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।	श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर दर पर न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी।
9.	नवीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले इस वर्ग के साथियों के बच्चों को 100/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जायेगी।	सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निराश्रित निधि से राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

**“परियोजना उदय” के अंतर्गत किये जाने वाले मुख्य कार्यों
की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति**

क्र.	शहर	कार्य	विवरण
1	भोपाल	जलप्रदाय / मल-जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	भोपाल में जलप्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण कार्य अंतर्गत विद्यमान 7 जल शोधन संयंत्र तथा 7 पम्पिंग स्टेशनों के पुनरोद्धार का कार्य, जल मात्रा की गणना हेतु 16 बल्क मीटर, 1984 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 6 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों। तथा एक सतही पानी की टंकी का निर्माण तथा 221 कि.मी. जल वितरण प्रणाली को बिछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है। 200 से 1000 मि.मी. व्यास का 132 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाना तथा 1000 मि.मी. व्यास का 3 कि.मी. फोर्स मेन, एक सीवेज सम्पवेल का निर्माण, सीवेज उपचार उपरान्त 2.5 कि.मी. चैनल तथा रोड बनाना आदि के कार्य किया जाना।
		भौतिक प्रगति (31.12.10)	इन सभी कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगतिरत है। भोपाल में 16 बल्क मीटर व 1984 बल्क कन्जूमर मीटर लगाने का कार्य, 5 रॉ वाटर पम्पिंग स्टेशन, 2 शुद्ध जल पम्पिंग स्टेशन में 18 नवीन पम्प स्थापित किये गये जिससे बिजली खपत की कमी होगी, 219 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 3 कि.मी. फोर्स मेन बिछाना, दो उच्चस्तरीय टंकी का निर्माण, 94 कि.मी. सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यों पर वर्तमान तक कुल रु. 112.00 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।
2	ग्वालियर	जलप्रदाय / मल-जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ग्वालियर में जलप्रदाय व्यवस्था के कार्य में 2 जल शोधन संयंत्र, 2 पम्प हाउसों के पुनरोद्धार का कार्य, 45 एम.एल.डी. क्षमता के इन्टेक वेल एवं जल शोधन संयंत्र का कार्य, 48 कि.मी. पम्पिंगमैन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 25 बल्क मीटर, 1088 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 11 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों तथा 4 सतही पानी की टंकियों का निर्माण तथा 306 कि.मी. जल वितरण प्रणाली को बिछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है। इन सभी कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगतिरत है।
		भौतिक प्रगति (31.12.10)	ग्वालियर में 25 बल्क मीटर व 806 कन्जूमर मीटर स्थापित करना, 2 जलशुद्धिकरण संयन्त्र तथा 2 शुद्धजल पम्पिंग स्टेशनों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कराया गया। 210 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

क्र.	शहर	कार्य	विवरण
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यों पर वर्तमान तक कुल रु. 94.00 करोड़ की राशि व्यय हो चुका है।
3	इंदौर	जलप्रदाय / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	इन्दौर में जलप्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण कार्य में विद्यमान 1 जल शोधन संयंत्र तथा 6 पम्पिंग स्टेशनों के पुनरोद्यार का कार्य, 900 एम.एल.डी. इनटेक का निर्माण, 360 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र तथा 3 पम्पिंग स्टेशन का निर्माण, 15 किमी. पम्पिंगमैन तथा 135 किमी. ग्रेहीटी मैन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 76 मीटर की स्थापना तथा 21 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण किया जाना है। 650 कि.मी. जल वितरण नलिकाये बिछाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।
		भौतिक प्रगति (31.12.10)	इन्दौर में बल्क मीटर, घरेलू उपभोक्ता मीटर तथा वोल्टमेन टाईप कुल 76 मीटर स्थापित किये जाने, यशवंत सागर जलशोधन संयन्त्र का जीर्णोद्धार कार्य, 900 एम.एल.डी. क्षमता का इनटेक वेल तथा 360 एम.एल.डी. क्षमता का जल शुद्धिकरण संयन्त्र का निर्माण कार्य, 14 उच्चस्तरीय टंकियों का निर्माण कार्य, 129 कि.मी. की रॉवाटर मैन तथा किलअर वाटर मैन व 158 कि.मी. जल वितरण मैन को बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया गया है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यों पर वर्तमान तक कुल रु. 558.00 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।
4	जबलपुर	जलप्रदाय / मल—जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	जबलपुर में परियट टैंक के स्पिल चैनल के सुदृढ़ीकरण का कार्य करना, 220 एम.एल.डी. क्षमता का इनटेक वेल तथा 120 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र का निर्माण, 2 कि.मी. लम्बाई की रॉ वाटर पम्पिंगमैन, जल मात्रा की गणना हेतु 58 बल्क मीटर, 618 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 7 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण, तथा 610 कि.मी. जल वितरण प्रणाली को बिछाने का कार्य सम्पादित किया जाना है। जल मल निकासी: 193 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाना 50 एम.एल.डी. सीवेज ट्रिटमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य करना है।
		भौतिक प्रगति (31.12.10)	जबलपुर में 8 बल्क मीटर तथा 527 उपभोक्ता मीटर स्थापित करना, परियट डेम का जीर्णोद्धार कार्य, 489 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य तथा 39 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाना, 50 एमएलडी सीवेज टीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य करना है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यों पर वर्तमान तक कुल रु. 173.00 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।

मध्यप्रदेश गरीबोन्मुख शहरी सेवा कार्यक्रम (प्रोजेक्ट उत्थान) के अन्तर्गत संपन्न कार्य

1. ई—गवर्नेंस	<p>1. इन्दौर/ग्वालियर/उज्जैन नगर निगमों में ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमीशन अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) लागू किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत सभी भवनों की अनुज्ञा नक्शों की स्वीकृति कम्प्यूटर द्वारा जारी की जावेगी। इन्दौर नगर पालिक निगम में यह प्रणाली मार्च 2011 में प्रारंभ कर दी जावेगी।</p> <p>2. भोपाल नगर निगम के अंतर्गत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS) पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। इस परियोजना के अंतर्गत नगर निगम के सभी विभागों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा रहा है। इसके लागू होने के पश्चात् नागरिक अपने करों का ऑनलाईन भुगतान कर सकेंगे।</p> <p>3. इस गतिविधि के तहत् नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, संभागीय कार्यालयों एवं 4 नगरपालिक निगमों को कंप्यूटर सेट उपलब्ध कराये गये तथा 500 कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।</p> <p>4. चार नगर निगमों में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मानचित्रों की सहायता से संपत्तियों का डेटाबेस तैयार करने व संपत्तिकर एवं अन्य सेवा संदाय प्रणालियों के एकीकरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है।</p> <p>5. क्षेत्रीय स्तर पर संपर्क हेतु 1000 ई – मेल पतों के साथ विभाग की इंटरेक्टिव वेबसाईट का निर्माण किया गया है।</p>
2. नगरपालिक सुधार	<p>1. नगरपालिक सुधार हेतु प्रदेश के महानगरों के 4 नगरपालिक निगमों में 16 नागरिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना की पहल की गई है जिनके माध्यम से नागरिकों को एक ही छत के नीचे समस्त कार्यों से जुड़ी जानकारी व कर भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में प्रदेश के 3 नगर निगमों में 9 नागरिक सुविधा केन्द्र प्रारंभ हो गये हैं।</p> <p>2. एमपीऑनलाईन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने हेतु 10 नगरपालिक निगमों की संपत्तिकर, जलकर, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी का डिजिटाईजेशन एवं ऑनलाईन भुगतान सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्य भी परियोजना के तहत किये गये।</p>

		<p>3. वाहन संसूचन एवं प्रबन्धन प्रणाली (VTMS) भोपाल एवं जबलपुर नगरपालिक निगमों में लागू किये जाने संबंधी कार्य प्रारंभ किये गये हैं जिन्हें भविष्य में अन्य निगमों में भी लागू किया जा सकेगा।</p> <p>4. नागरिकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण हेतु विभाग के समस्त 14 नगर निगमों को मध्यप्रदेश शासन के टेली समाधान कॉलसेन्टर से जोड़ा जा चुका है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक नगर निगम से संबंधित शिकायत टोल फ़्री नंबर 155343 पर कर सकता है।</p> <p>5. जीआईएस—फेज 2 के अंतर्गत – राजस्व में वृद्धि एवं निकायों की परिसंपत्तियों के मानचित्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है ताकि संपत्तिकर प्रणाली को वास्तविकता आधारित बनाकर राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।</p>
3.	वित्तीय सुधार	<p>1. भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगरों में संपत्तियों का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर संपत्ति के अभिलेखों को अद्यतन करने, लेखा एवं वित्तीय नियम निर्मित करने, संपत्तिकर, उपभोक्ता शुल्कों सेवा प्रभार के युक्तियुक्तकरण हेतु मापदण्ड तय कर उन्हें लागू करने व निगमों के बेहतर वित्तीय प्रबन्धन हेतु आदर्श प्रक्रियाओं का मैनुअल तैयार कराया गया।</p> <p>2. भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगरों में लेखा सुधार प्रणाली की स्थापना के तहत 1 अप्रैल 2007 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंश शीट तैयार की जा चुकी हैं तथा अन्य निकाय भी इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं।</p> <p>3. इन निकायों को वर्ष 2009 की स्थिति में ओपनिंग बैलेंश शीट तैयार करने हेतु नियमित रूप से तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।</p>
4.	सामाजिक विकास	<p>1. 14 नगर निगमों में 129 बस्तियों के अधोसंरचना विकास में 1446 रेसीडेंट कम्यूनिटी वालेन्टियर (आरसीवी) द्वारा सूक्ष्म नियोजन।</p> <p>2. 129 बस्तियों में 109 बस्ती में गठन एवं पंजीयन।</p> <p>3. इन्दौर नगर निगम में मलिन बस्तियों में समाजिक अर्थिक सर्वेक्षण संपूर्ण।</p>
5.	मलिन बस्ती विकास	इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य गरीब बस्ती क्षेत्रों के परिवेश को निवास योग्य बनाकर बस्ती के निवासियों की सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार से जुड़ी समस्याओं का रथायी समाधान उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रथम चरण के चार शहरों की कुल 220 बस्तियों का पुनरुद्धार करने का लक्ष्य है।

6. नगरीय सु-शासन हेतु पहल	<p>1. 13वें वित्त आयोगं द्वारा चाहे अनुसार प्रदेश के 14 नगर निगमों एवं 96 नगर पालिका परिषद द्वारा नगर में दी जा रही जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के वर्तमान स्तर एवं आगामी वर्ष के लक्ष्यों हेतु कार्यशालाओं का आयोजन कर केन्द्र शासन के प्रारूप में जानकारी का राजपत्र में प्रकाशन कराया गया। 14 नगर निगमों के इन्फामेशन सिस्टम इम्प्रुवमेन्ट प्लान (आईएसआईपी) एवं परफारमेन्स इम्प्रुवमेन्ट प्लान (पीआईपी) तैयार किये जा रहे हैं।</p> <p>2. विभाग के लिये एकीकृत मानक दर सूची (आईएसएसआर) तैयार किया जा चुका है। अंगीकरण की कार्यवाही प्रचालित है।</p> <p>3. नगरपालिक निगमों में सेवा शर्त नियमों को युक्तिसंगत बनाने व नये सिरे से निगमों के विभागों के पुनर्गठन की कार्यवाही हेतु संशोधन प्रस्तावित है।</p> <p>4. जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था व प्रणाली के विकास हेतु कार्यक्रम के प्रदर्शन एवं प्रगति के प्रबन्धन, नस्ती प्रबन्धन प्रणालियों के विकास की कार्यवाही क्रियान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य इस पहल के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं।</p> <p>5. नगर विकास योजना एवं जोनल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही भी की जा रही है। 10 शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत योजनाओं के चयन एवं उनके क्रियान्वयन हेतु एजेन्सी चयन की कार्यवाही प्रचालित है।</p> <p>6. सुशासन हेतु किये गये प्रयासों के परिणामों के रूप में हुए कार्यों में गंदी बस्तियों की अधिसूचना संबंधी नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया का आरंभ उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं।</p>
--	--

